

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक जिलाधीश सूरतगढ़

पीठासीन अधिकारी :- सीता शर्मा आर.ए.एस.

प्रकरण नं. 34/2020

दायरा दिनांक 13.02.2020

1. राजाराम } पुत्रगण श्री मामराज अकवाम सुथार निवासीयान ढाबा झालार
2. ओमप्रकाश } तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राज.।
3. कृष्णलाल पुत्र मामराज (फौत) जरिये वारिसान :-
 - 3/1 लीलावती पत्नी कृष्णलाल } अकवाम सुथार निवासीयान ढाबां झालार
 - 3/2 राकेश पुत्र कृष्णलाल } तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राज.।
 - 3/3 हेमलता पुत्री कृष्णलाल
 - 3/4 तुलछी पुत्री कृष्णलाल
4. मोहनलाल पुत्र मामराज (फौत) जरिये वारिसान :-
 - 4/1 मायादेवी पत्नी मोहनलाल } अकवाम सुथार निवासीयान ढाबां झालार
 - 4/2 रणवीर पुत्र मोहनलाल } तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
 - 4/3 दलीप कुमार पुत्र मोहनलाल
5. मनीराम पुत्र मामराज (फौत) जरिये वारिसान :-
 - 5/1 पुष्पादेवी पत्नी मनीराम } अकवाम सुथार निवासीयान ढाबां झालार
 - 5/2 अनिल कुमार पुत्र मनीराम } तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
 - 5/3 में कविता पुत्र मनीराम

- वादीगण

बनाम

1. खेतपाल } पुत्रगण भागीरथ अकवाम सुथार निवासीयान ढाबा झालार
2. कृष्णलाल } तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राज.।
3. पृथ्वीराज पुत्र पूर्णराम (फौत) जरिये वारिसान :-
 - 3/1 परमेश्वरी पत्नी पृथ्वीराज } अकवाम सुथार निवासीयान ढाबां झालार
 - 3/2 मुर्तिदेवी पुत्री पृथ्वीराज } तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
 - 3/3 सतपाल पुत्र पृथ्वीराज (फौत) जरिये वारिसान :-
 - 3/3/1 मंजूदेवी पत्नी सतपाल } अकवाम सुथार निवासीयान ढाबां झालार
 - 3/3/2 प्रवीण पुत्र सतपाल } तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
 - 3/3/3 अनिता पुत्री सतपाल
 - 3/4 रामचन्द्र पुत्र पृथ्वीराज } अकवाम सुथार निवासीयान ढाबां झालार
 - 3/5 नौरगी पुत्री पृथ्वीराम } तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
4. हेतराम पुत्र श्री सहीराम जाति बिश्नोई निवासी ढाबा झालार तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राज.।
5. भजनलाल पुत्र सहीराम (फौत) जरिये वारिसान :-
 - 5/1 रामेश्वरीदेवी पत्नी भजनलाल } अकवाम बिश्नोई निवासीयान
 - 5/2 द्रोपती } पुत्रगण/पुत्रीयान } ढाबा झालार तहसील सूरतगढ़
 - 5/3 कान्ता } भजनलाल } जिला श्रीगंगानगर।
 - 5/4 रोशनी
 - 5/5 मांगीलाल
 - 5/6 विक्रम



लगातार पेज 2 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

(2)

6. एम.जी.बी. ग्रामीण बैंक शाखा ढाबा झालार।
7. श्रीगंगानगर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा ढाबा झालार।
8. एस.बी.बी.जे. एडीबी शाखा सूरतगढ़।
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़ भूमिधारी।

— प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 209 आर.टी.ए.

उपस्थित :-

1. श्री सुरेन्द्र सुथार एडवोकेट — वादीगण
2. श्री सुभाष बिश्नोई एडवोकेट — प्रतिवादी नं. 1 ता 3
3. श्री रामप्रताप तिवाड़ी एडवोकेट — प्रतिवादी नं. 8
4. पेरोकार राज नायब तहसीलदार — प्रतिवादी नं 9

—:: निर्णय ::—

दिनांक :- 08.05.2024



पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। वादी ने यह दावा पेशकर निवेदन किया कि तहसील सूरतगढ़ के वाके चक 21 एल.जी.डब्ल्यू. की जमाबन्दी सम्वत् 2071 ता 4 के खाता नं. 43/47 के पत्थर नं. 27/292 (23) के किला नं. 1 ता 25 = 6.325 हैक्. नहरी मय खाला व पत्थर नं. 28/292 (24) के किला नं. 3 ता 8, 13 ता 18, 24/2, 25 = 3.390 हैक्. नहरी मय गै.मु.रास्ता इस प्रकार कुल 9.715 हैक्. (9.465 हैक्. नहरी व 0.125 हैक्. खाला व 0.125 हैक्. गै.मु.रास्ता) में वादीगण का 2.480 हैक्. व प्रतिवादी नं. 1 व 2 का 2.479 हैक्. व प्रतिवादी नं. 3 का 2.479 हैक्. व प्रतिवादी नं. 4 का 2.277 हैक्. में से 1/2 हिस्सा यानि 1.1385 हैक्. व प्रतिवादी नं. 5/1 से 5/6 का 2.277 हैक्. में से 1/2 हिस्सा यानि 1.1385 हैक्. व इसी चक के इसी सम्वत् की जमाबन्दी के खाता संख्या 38/23 के पत्थर नं. 28/291 (19) के किला नं. 17/0.253, 24-25/0.506 = 0.759 हैक्. व पत्थर नं. 29/291 (18) के किला नं. 6 ता 8/0.759, 13/0.253, 14/0.151 = 1.163 हैक्. व पत्थर नं. 28/292 (24) के किला नं. 21 ता 23/0.759, 24/0.152 = 0.911 हैक्. इस प्रकार कुल 2.833 हैक्. नहरी मय खाला व रास्ता में वादीगण का 0.946 हैक्. व प्रतिवादी नं. 1 व 2 का 0.945 हैक्. व प्रतिवादी नं. 3 का 0.945 हैक्. खातेदारी कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण का सयुक्त खाता के रकबा का आपस में घरू बंटवारा अर्सा दराज पूर्व किया हुआ था। वादीगण ने अपने घरू बंटवारा व कब्जा काश्त रकबा चक 21 एल.जी.डब्ल्यू. के खाता संख्या 43/47 के पत्थर नं. 27/292 (23) के किला नं. 19 ता 22/1.012, 18/0.051 पश्चिमी पासा, 23/0.051 पश्चिमी पासा = 1.114 हैक्. व पत्थर नं. 28/292 (24) के किला नं. 3/0.253, 8/0.253, 13/0.253, 16/0.017, 17/0.018, 18/0.253 24/2 में 0.101, 25/0.253 = 1.401 हैक्. इस प्रकार कुल 2.515 हैक्. व इसी चक के खाता संख्या 38/23 के पत्थर नं. 28/292 (24) के किला नं. 21 ता 23/0.759, 24/0.152 = 0.911 हैक्. इस प्रकार दोनों खातों में कुल 3.426 हैक्. रकबा पर है

लगातार पेज 3 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

(3)

तथा वादीगण ने अपने कब्जा काश्त के रकबा को सुधार कर काबिल काश्त किया है तथा अपने कब्जा काश्त के रकबा का प्रतिवादीगण से खाता अलग करवाने के कानूनी अधिकारी है। वादीगण के नाम से चक 21 एल.जी.डब्ल्यू. के खाता संख्या 38/23में 0.035 हैक्. रकबा कलमजन किया जाकर प्रतिवादीगण नं. 1 ता 5 के नाम बहिस्सा बराबर जोड़ा जावे व खाता संख्या 43/47 में प्रतिवादीगण नं. 1 ता 5 के नाम से 0.035 हैक्. रकबा कलमजन किया जाकर वादीगण के नाम बहिस्सा बराबर जोड़ा जावे। ताकि वादीगण का दोनो खाता में कुल 3.426 हैक्. रकबा पुरा हो सके। वादीगण ने अपने कब्जा काश्त व घरु बंटवारा में प्राप्त रकबा में ट्रेक्टर से करावा लगाकर व गोबर की खाद डालकर प्रतिवादीगण से ज्यादा उपजाऊ बनाया है। इसलिए वादीगण अपने कब्जा काश्त व घरु बंटवारा में प्राप्त रकबा का प्रतिवादीगण से अलग खाता विभाजन करवाना चाहते है। इसलिए यह दावा पेश किया गया है।



दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये पंजीकृत एवं साधारण सम्मन तलब किया गया। पत्रावली तलबी होकर दिनांक 16.04.2020 को पेश हो। दिनांक 06.08.2020 को प्रतिवादी नं. 5 की और से श्री सुभाष बिश्नोई एडवोकेट द्वारा वकालतनामा पेश किया गया, शामिल मिसल रहे। प्रतिवादी नं. 5/5, 6, 7 को बार बार आवाजे लगवाई गई बावजूद सूचना हाजिर नही आने पर इने विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाती है। पत्रावली वास्ते जबाब दावा प्रतिवादी नं. 1 ता 3 व शेष प्रतिवादीगण की तलबी इन्तजार होकर दिनांक 05.10.2020 को पेश हो। दिनांक 28.09.2021 को एसबीआई बैंक की और से ओ.पी. पारीक एडवोकेट उपस्थित वकालतनामा पेश किया। पत्रावली पूर्व नियत केम्प ढाबां झलार में पेश हो। दिनांक 02.10.2021 को पत्रावली प्रशासन गांव के संग अभियान केम्प ढाबां में पेश हुई। वकील वादी द्वारा वादी नं. 3 के व 5 के फौत होने का प्रार्थना पत्र पेश कर वारिसान को पक्षकार बनाने का निवेदन किया। प्रार्थना पत्र शामिल मिसल रहे। प्रतिवादी नं. 8 की और से जबाब दावा पूर्व में पेश किया। शामिल मिसल रहे। पत्रावली वास्ते आगामी कार्यवाही दिनांक 25.11.2021 को पेश हो। दिनांक 0.07.2022 वकील वादी द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 सी.पी.सी. पूर्व में पेश किया गया, शामिल मिसल रहे। वकील प्रतिवादी द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 सी.पी.सी. पर नॉ ओबजेक्शन किया जाकर स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। वादी नं. 3 कृष्णलाल व वादी नं. 5 मनीराम फौत हो जाने पर उनके स्थान पर (कृष्णलाल फौत) वारिसान 3/1 से 3/4 व (मनीराम फौत) वारिसान 5/1 से 5/3 बतोर वादीगण पक्षकार संयोजित किये जाने के आदेश दिये गये। संशोधित शीर्षक वाद पत्र पेश किया, शामिल मिसल रहे। प्रतिवादी नं. 4, 5/1 से 5/4, 5/6, 8, 9 का रजि. तलबी तलवाना पेश करे। वास्ते जबाब दावा प्रतिवादी नं. 1 ता 3 हेतु व तलबी दिनांक 25.11.2022 को पेश हो। दिनांक 31.10.2023 उभयपक्ष

लगातार पेज 4 पर


उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

(4)

उपस्थित प्रतिवादी नं. 4, 5/1 से 524, 5/6 को आवाजे लगवाई गईं बावजूद रजि. नोटिस सूचना हाजिर नहीं आने पर इनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाती है जबाब दावा प्रतिवादी नं. 1 ता 3 हेतू 200/- रुपये कोस्ट पर अवसर दिया जाता है। दिनांक 09.02.2024 उभयपक्ष उपस्थित वादी नं. 1, 2 ने उपस्थित होकर साक्ष्य वादी ब्यान शपथ पत्र पेश किया, शामिल मिसल रहे। वास्ते साक्ष्य वादी जिरह पत्रावली दिनांक 13.03.2024 को पेश हो। दिनांक 27.02.2024 आज यह पत्रावली वादीगण द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर पेशी में ली गई। प्रार्थना पत्र पेशकर निवेदन किया कि वादी नं. 4 व 5 फौत हो चुके हैं। अतः उनके वारिसान को पक्षकार बनाया जावे। अतः व्यायत्ति में प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वादी नं. 4 व प्रतिवादी नं. 3 के वचारिसान को रिकॉर्ड पर लेने का आदेश दिया जाता है। संशोधित शीर्षक पेश किया, शामिल मिसल रहे। वादीगण व प्रतिवादीगण ने राजीनामा व सहमति पत्र पेश किया है, जो तस्दीक किया गया। पत्रावली वास्ते आगामी कार्यवाही हेतू पेश हो।



अधिवक्तागण की बहस सुनी गई व पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य राजीनामा व सहमति पत्र पेश से होने पर मुताबिक सहमति पत्र/राजीनामा के अनिल कुमार पुत्र मनीराम, ओमप्रकाश, राजाराम पि. मामराज, दलीप कुमार, रणवीर पि. मोहनलाल, माया देवी पत्नी मोहनलाल, राकेश कुमार पुत्र कृष्णलाल के नाम वाके चक 21 एल.जी.डब्ल्यू. के खाता संख्या 39/43 के पत्थर नं. 27/292 (23) के किला नं. 19/0.090, 20-21/0.506, 22/0.090 = 0.686 हैक्. व पत्थर नं. 28/292 (24) के किला नं. 3/0.253, 8/0.253, 13/0.253, 16/0.228, 17/0.228, 18/0.253, 24/2 में 0.101, 25/0.253 = 1.822 हैक्. व खाता संख्या 40/38 के पत्थर नं. 28/292 (24) के किला नं. 21 ता 23, 24/1 = 0.911 हैक्. कुल 3.419 हैक्. नहरी भूमि व रामचन्द्र पुत्र पृथ्वीराज, प्रवीण कुमार पुत्र सतपाल के नाम चक 21 एल.जी.डब्ल्यू. के खाता संख्या 39/43 के पत्थर नं. 27/292 (23) के किला नं. 10 ता 18/2.277, 19/0.163, 22/0.163, 23 ता 25/0.759 = 3.362 हैक्. भूमि व कृष्णलाल, खेतपाल पि. भागीरथ के नाम चक 21 एल.जी.डब्ल्यू. के खाता संख्या 39/43 के पत्थर नं. 28/292 (24) के किला नं. 4 ता 7/1.012, 14-15/0.506, 16/0.025, 17/0.025 = 1.568 हैक्. व खाता संख्या 4/38 के पत्थर नं. 28/291 (19) के किला नं. 17, 24/1, 24/2, 25/1, 25/2 = 0.759 हैक्. नहरी मय रास्ता व पत्थर नं. 29/291 (18) के किला नं. 6/1, 6/2, 7, 8,

लगातार पेज 5 पर


उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

(5)

13, 14/2 = 1.163 हैक. कुल 3.490 हैक. भूमि व रामेश्वरीदेवी पत्नी भजनलाल, कान्ता, द्रोपती, मांगीलाल, रोशनी, विक्रम पुत्र/पुत्रीयां भजनलाल के नाम चक 21 एल.जी.डब्ल्यु. के खाता संख्या 39/43 के पत्थर नं. 27/292 (23) के किला नं. 1 ता 9/2.277 हैक. नहरी मय खाला भूमि द्वितीय पक्षकार के कब्जा काशत में है व उक्त दोनो खातो में शेष रकबा प्रथम पक्षकार के कब्जा काशत में है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण द्वारा पेश सहमति पत्र/राजीनामा अनुसार अलग खाता विभाजन जारी करना उचित समझते है।



अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर वाके चक 21 एल.जी.डब्ल्यु. में वर्णित जैरवाद भूमि का मुताबिक सहमति पत्र/ के अनिल कुमार पुत्र मनीराम, आमप्रकाश, राजाराम पि. मामराज, दलीप कुमार, रणवीर पि. मोहनलाल, माया देवी पत्नी मोहनलाल, राकेश कुमार पुत्र कृष्णलाल के नाम वाके चक 21 एल.जी.डब्ल्यु. के खाता संख्या 39/43 के पत्थर नं. 27/292 (23) के किला नं. 19/0.090, 20-21/0.506, 22/0.090 = 0.686 हैक. व पत्थर नं. 28/292 (24) के किला नं. 3/0.253, 8/0.253, 13/0.253, 16/0.228, 17/0.228, 18/0.253, 24/2 में 0.101, 25/0.253 = 1.822 हैक. व खाता संख्या 40/38 के पत्थर नं. 28/292 (24) के किला नं. 21 ता 23, 24/1 = 0.911 हैक. कुल 3.419 हैक. नहरी भूमि व रामचन्द्र पुत्र पृथ्वीराज, प्रवीण कुमार पुत्र सतपाल के नाम चक 21 एल.जी.डब्ल्यु. के खाता संख्या 39/43 के पत्थर नं. 27/292 (23) के किला नं. 10 ता 18/2.277, 19/0.163, 22/0.163, 23 ता 25/0.759 = 3.362 हैक. भूमि व कृष्णलाल, खेतपाल पि. भागीरथ के नाम चक 21 एल.जी.डब्ल्यु. के खाता संख्या 39/43 के पत्थर नं. 28/292 (24) के किला नं. 4 ता 7/1.012, 14-15/0.506, 16/0.025, 17/0.025 = 1.568 हैक. व खाता संख्या 4/38 के पत्थर नं. 28/291 (19) के किला नं. 17, 24/1, 24/2, 25/1, 25/2 = 0.759 हैक. नहरी मय रास्ता व पत्थर नं. 29/291 (18) के किला नं. 6/1, 6/2, 7, 8, 13, 14/2 = 1.163 हैक. कुल 3.490 हैक. भूमि व रामेश्वरीदेवी पत्नी भजनलाल, कान्ता, द्रोपती, मांगीलाल, रोशनी, विक्रम पुत्र/पुत्रीयां भजनलाल के नाम चक 21 एल.जी.डब्ल्यु. के खाता संख्या 39/43 के पत्थर नं. 27/292 (23) के किला नं. 1 ता 9/2.277 हैक. नहरी मय खाला भूमि का खाता अलग किया जावे व इसीनुसार राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। इस आशय की पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सीता शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (सिजी)
एवं सहायक जिलाधीश
सूरतगढ़

—: डिक्री ब मुक्द्दम इख्तदाई :-

(ओ0 21 रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)

बअदालत उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक जिलाधीश, सूरतगढ़

बइजलास – सीता शर्मा आर.ए.एस.

1. राजाराम } पुत्रगण श्री मामराज अकवाम सुथार निवासीयान ढाबा झालार
2. ओमप्रकाश } तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राज.।
3. कृष्णलाल पुत्र मामराज (फौत) जरिये वारिसान :-
3/1 लीलावती पत्नी कृष्णलाल } अकवाम सुथार निवासीयान ढाबां झलार
3/2 राकेश पुत्र कृष्णलाल } तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राज.।
3/3 हेमलता पुत्री कृष्णलाल }
3/4 तुलछी पुत्री कृष्णलाल }
4. मोहनलाल पुत्र मामराज (फौत) जरिये वारिसान :-
4/1 मायादेवी पत्नी मोहनलाल } अकवाम सुथार निवासीयान ढाबां झलार
4/2 रणवीर पुत्र मोहनलाल } तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
4/3 दलीप कुमार पुत्र मोहनलाल }
5. मनीराम पुत्र मामराज (फौत) जरिये वारिसान :-
5/1 पुष्पादेवी पत्नी मनीराम } अकवाम सुथार निवासीयान ढाबां झलार
5/2 अनिल कुमार पुत्र मनीराम } तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
5/3 में कविता पुत्र मनीराम }

– वादीगण

बनाम

1. खेतपाल } पुत्रगण भागीरथ अकवाम सुथार निवासीयान ढाबा झालार
2. कृष्णलाल } तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राज.।
3. पृथ्वीराज पुत्र पूर्णराम (फौत) जरिये वारिसान :-
3/1 परमेश्वरी पत्नी पृथ्वीराज } अकवाम सुथार निवासीयान ढाबां झलार
3/2 मुर्तिदेवी पुत्री पृथ्वीराज } तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
3/3 सतपाल पुत्र पृथ्वीराज (फौत) जरिये वारिसान :-
3/3/1 मंजूदेवी पत्नी सतपाल } अकवाम सुथार निवासीयान ढाबां
3/3/2 प्रवीण पुत्र सतपाल } झलार तहसील सूरतगढ़।
3/3/3 अनिता पुत्री सतपाल }
- 3/4 रामचन्द्र पुत्र पृथ्वीराज } अकवाम सुथार निवासीयान ढाबां झलार
3/5 नौरगी पुत्री पृथ्वीराम } तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
4. हेतराम पुत्र श्री सहीराम जाति बिश्नोई निवासी ढाबा झालार तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राज.।
5. भजनलाल पुत्र सहीराम (फौत) जरिये वारिसान :-
5/1 रामेश्वरीदेवी पत्नी भजनलाल } अकवाम बिश्नोई निवासीयान
5/2 द्रोपती } पुत्रगण/पुत्रीयान } ढाबा झालार तहसील सूरतगढ़
5/3 कान्ता } भजनलाल } जिला श्रीगंगानगर।
5/4 रोशनी }
5/5 मांगीलाल }
5/6 विक्रम }

लगातार पेज 2 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)



6. एम.जी.बी. ग्रामीण बैंक शाखा ढाबा झालार।
7. श्रीगंगानगर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा ढाबा झालार।
8. एस.बी.बी.जे. एडीबी शाखा सूरतगढ़।
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़ भूमिधारी।

— प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 53, 209 आरटीए मुकदमा नं. 34/2020 यह मुकदमा आज वास्ते इन फिसाल कितई रूबरू हमारे हाजिर वकील वादीगण श्री सुरेन्द्र सुथार एडवोकेट व प्रतिवादी नं. 1 ता 3 की और से श्री सुभाष बिश्नोई एडवोकेट व प्रतिवादी नं. 8 की और से रामप्रताप तिवाड़ी एडवोकेट पेश होने पर हुकम दिया जाता है व डिक्री जारी की जाती है कि :-

अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर वाके चक 21 एल.जी.डब्ल्यू. में वर्णित जैरवाद भूमि का मुताबिक सहमति पत्र/ के अनिल कुमार पुत्र मनीराम, ओमप्रकाश, राजाराम पि. मामराज, दलीप कुमार, रणवीर पि. मोहनलाल, माया देवी पत्नी मोहनलाल, राकेश कुमार पुत्र कृष्णलाल के नाम वाके चक 21 एल.जी.डब्ल्यू. के खाता संख्या 39/43 के पत्थर नं. 27/292 (23) के किला नं. 19/0.090, 20-21/0.506, 22/0.090 = 0.686 हैक्. व पत्थर नं. 28/292 (24) के किला नं. 3/0.253, 8/0.253, 13/0.253, 16/0.228, 17/0.228, 18/0.253, 24/2 में 0.101, 25/0.253 = 1.822 हैक्. व खाता संख्या 40/38 के पत्थर नं. 28/292 (24) के किला नं. 21 ता 23, 24/1 = 0.911 हैक्. कुल 3.419 हैक्. नहरी भूमि व रामचन्द्र पुत्र पृथ्वीराज, प्रवीण कुमार पुत्र सतपाल के नाम चक 21 एल.जी.डब्ल्यू. के खाता संख्या 39/43 के पत्थर नं. 27/292 (23) के किला नं. 10 ता 18/2.277, 19/0.163, 22/0.163, 23 ता 25/0.759 = 3.362 हैक्. भूमि व कृष्णलाल, खेतपाल पि. भागीरथ के नाम चक 21 एल.जी.डब्ल्यू. के खाता संख्या 39/43 के पत्थर नं. 28/292 (24) के किला नं. 4 ता 7/1.012, 14-15/0.506, 16/0.025, 17/0.025 = 1.568 हैक्. व खाता संख्या 4/38 के पत्थर नं. 28/291 (19) के किला नं. 17, 24/1, 24/2, 25/1, 25/2 = 0.759 हैक्. नहरी मय रास्ता व पत्थर नं. 29/291 (18) के किला नं. 6/1, 6/2, 7, 8, 13, 14/2 = 1.163 हैक्. कुल 3.490 हैक्. भूमि व रामेश्वरीदेवी पत्नी भजनलाल, कान्ता, द्रोपती, मांगीलाल, रोशनी, विक्रम पुत्र/पुत्रीयां भजनलाल के नाम चक 21 एल.जी.डब्ल्यू. के खाता संख्या 39/43 के पत्थर नं. 27/292 (23) के किला नं. 1 ता 9/2.277 हैक्. नहरी मय खाला भूमि का खाता अलग किया जावे व इसीनुसार राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है।

आजX..... मुबलिगX..... बाबत्X..... खर्चा
इस मुकदमें मय शूद्ध बशरहX..... कसदो की पालनाX.....आज कि
तारीख से तारीख बसूलया वो ताकी अदा करे

बसिब्त मेंरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 08.05.24 को जारी की गयी।

(सीता शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)
सूरतगढ़।

